न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

नामा0 अपील सं0 25/2019

1. जगदीश
2. रंगलाल
3. हरजी
4. जगन

पुत्रान छोटू जाति मीना निवासी थूमडी तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

......अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिए तहसीलदार लवाण जिला दौसा

.....रेस्पों.

अपील विरूद्व आदेश उप तहसीलदार लवाण दिनांक 11.10.2010 जो नामान्तरण संख्या 727 ग्राम थूमडी पर पारित किया गया है ।

उपस्थित–1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से
2. श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता,

निर्णय

दिनांक: 16.07.2024

1. संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार, लवाण जिला दौसा ने दिनांक11.10.2010 को ग्राम थूमडी का नामान्तरण सं0 727 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
3. सर्वप्रथम दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर बहस अधिवक्तागण की सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस में दलील दी कि उप तहसीलदार लवाण ने दिनांक 11. 10.2010 को अपीलांट्स को नोटिस दिये बिना व अपीलांट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। इसलिए अपीलांट्स को उक्त निर्णय की पूर्व में जानकारी नहीं थी। उक्त निर्णय की सर्वप्रथम दिनांक 24.9.2019 को पटवारी हल्का से जानकारी हुई, जिस पर नकल हेतु आवेदन करने पर नकल दिनांक 26.9.2019 को प्राप्त हुई। अपील जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अत: अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अत्यधिक विलंब से अपील पेश की गई है। अपीलांट्स को उक्त नामान्तरण की पूर्व से जानकारी थी। अत: अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। राजकीय अधिवक्ता व अधिवक्ता अपीलांट की दफा 05 के प्रा.पत्र पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट्स द्वारा जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील को सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अत: धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।
4. तत्पश्चात मूल अपील पर बहस अधिवक्तागण सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र सं0 5/2010 उनवानी जगदीश बनाम राजस्थान सरकार धारा 136

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:43:04 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलक्टर, दौसा

लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का उपखंड अधिकारी दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया और उपखंड अधिकारी दौसा ने उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक पर दिनांक 30.08.2010 को यह आदेश पारित किया कि ग्राम थूमडी स्थित खसरा नंबर 921 रकबा 1.51 है0 में अपीलान्ट प्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 के बजाय हिस्सा 3/4 तथा अर्जुन, कैलाश, फैली पुत्रान रेवड व मूली बेवा रेवड हिस्सा 1/2 के बजाय हिस्सा 1/4 दुरुस्त कर दर्ज करने का आदेश दिये जाते है। उक्त फैसले की पालना में नामान्तरण संख्या 727 ग्राम थूमडी भरा गया तथा बाद जांच उप तहसीलदार लवाण ने उक्त नामान्तरण संख्या 727 ग्राम थूमडी को दिनांक 24.09.2010 को स्वीकार किया। उसके बाद अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना तथा बिना नोटिस दिये बिना दिनांक 11.10.2010 को उप तहसीलदार लवाण ने उक्त नामान्तरकरण उन्हें अधिकार न होते हुए भी खारिज कर दिया। निर्णय अधिनस्थ न्यायालय विधि विरूद्व प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। 2. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना नोटिस दियें बिना उक्त निर्णय पारित किया हैं। अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय को अपने निर्णय दिनांक 24.09.2010 को परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं था। ना तो किसी पक्ष ने कोई आवेदन पेश किया था ना ही कोई रिव्यू पेश हुआ था और बिना किसी अधिकार के कानून के विपरीत तरीके से अपने स्वयं के द्वारा स्वीकृत नामान्तरण को विधि विरूद्व तरीके से खारिज करने में कानूनी गलती की है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अपीलान्ट उक्त भूमि के 3/4 हिस्से का खातेदार व काबिज काश्तकार है तथा मौके पर अपीलान्ट का 3/4 हिस्से पर कब्जा है। अपीलान्ट को विधि विरूद्व उक्त भूमि खसरा नंबर 921 का 3/4 हिस्से का खातेदार मानकर निर्णय पारित किया है जिसे स्वयं तहसीलदार ने स्वीकार किया था किन्तु फिर भी ऐसे निर्णय के आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तरण को अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज करने में कानूनी गलती की है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन नहीं है ना ही किसी न्यायालय में कोई वाद आज दिन विचारणीय नहीं हैं किन्तु फिर भी अधीनस्थ उप तहसीलदार लवाण ने उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय उप तहसीलदार लवाण दिनांक 11.10.2010 को निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरण सं0 727 पर पारित आदेश दिनांक 24.9.2010 की रिकार्ड में पालना करने का आदेश तहसीलदार नांगल राजावतान को देने के आदेश फरमावें। नामान्तरण सं0 80 दिनांक 28.5.1993 को निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि उप तहसीलदार लवाण के द्वारा न्यायालय उपखंड अधिकारी दौसा के आदेश की पालना में नामान्तरण संख्या 727 में जगदीश, रंगलाल, हरजी, जगन पि. छोटू हि.1/2, बिला रहन, अर्जुन, कैलाश पि. रेवड, मु. भूली बेवा रेवड हि. 3/8 राहिन एसबीबीजे शाखा छारेडा मुर्तहीन फ़ेली पुत्र रेवड हि.1/8 जाति मीना से जगदी[...]ल, हरजी, जगन पि. छोटू हि.3/4, बिला रहन, अर्जुन, कैला[...] रेवड हि. 3/16 राहिन एसबीबीजे शाखा छारेडा मुर्तहीन फेली पुत्र रेवड हि. [...]6 जाति मीना सा.देह खातेदार के नाम दिनांक 24.9.2010 को तस्दीक किया गया [...]। उक्त भूमि पर न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा का स्थगन आदेश प्रचलित होने से उप तहसीलदार लवाण द्वारा दिनांक 11.10.2010 को नामान्तरण निरस्त कर दिया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:43:04 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उप तहसीलदार लवाण के द्वारा न्यायालय उपखंड अधिकारी दौसा के आदेश की पालना में नामान्तरण संख्या 727 पटवारी हल्का थूमडी द्वारा भरा गया जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त के द्वारा जांच की गई। तत्पश्चात उप तहसीलदार लवाण के द्वारा दिनांक 24.9.2010 को प्रश्नगत नामान्तरण तस्दीक किया गया है। जिसमें जगदीश, रंगलाल, हरजी, जगन पि. छोटू हि.1/2, बिला रहन, अर्जुन, कैलाश पि. रेवड, मु. भूली बेवा रेवड हि. 3/8 राहिन एसबीबीजे शाखा छारेडा मुर्तहीन फेली पुत्र रेवड हि.1/8 जाति मीना से जगदीश, रंगलाल, हरजी, जगन पि. छोटू हि.3/4, बिला रहन, अर्जुन, कैलाश पि. रेवड, मु. भूली बेवा रेवड हि. 3/16 राहिन एसबीबीजे शाखा छारेडा मुर्तहीन फेली पुत्र रेवड हि. 1/16 जाति मीना सा.देह खातेदार के नाम दिनांक 24.9.2010 को अंकन स्वीकार किया गया है। तत्पश्चात दिनांक 11.10.2010 को पटवारी हल्का थूमडी के द्वारा रिपोर्ट की गई कि उक्त विवादित भूमि पर न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा का स्थगन आदेश प्रचलित है जिस पर उप तहसीलदार लवाण ने यह अंकन करते हुए नामान्तरण खारिज किया है:—

" ना0सं0 727 पुनः प्रस्तुत हुआ। रिपोर्ट पटवारी भू अभिलेख निरीक्षक के अनुसार उक्त खसरा नंबर 921 में माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा के यहॉ से स्थगन एवं नियमित वाद विचाराधीन है। अतः नामान्तरण सं0 727 पर निर्णय दिनांक 24.9.2010 को राज. लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 123 की पालना में संशोधन करते हुए निरस्त किया जाता है। न्यायालय में निर्णय के पश्चात तदनुसार पुनः कार्यवाही की जावे।"

इसके उपरांत हमारे समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत है कि उक्त प्रकरण जिसमें माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश प्रचलित था वह प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया जिसके फलस्वरूप स्थगन आदेश भी खारिज हो गया। अतः प्रकरण निम्न आदेश के साथ तहसीलदार नांगल राजावतान को पुनः नवीन नामान्तरण आदेश पारित करने हेतु प्रेषित किये जाते है।

"खसरा नंबर 921 रकबा 1.51है. ग्राम थूमडी में समस्त काश्तकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का मौका देते हुए उनसे समस्त दस्तावेज जैसेकि न्यायालय आदेश उपखंड अधिकारी दौसा दिनांक 30.8.2010 मुकदमा सं0 5/2010 एवं इसके बाद प्रसारित किसी अन्य न्यायालय के आदेश को मध्यनजर रखते हुए नवीनतम आदेश प्रसारित करें। संबंधित पक्षकार दिनांक 23.7.2024 को तहसीलदार नांगल राजावतान के समक्ष प्रस्तुत हो। तहसीलदार नांगल राजावतान एक माह में आदेश प्रसारित करेंगे। "

7- अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:43:04 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक ... को ... जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा